संख्या-20/2018/503/60-3-2018-1(3)/2012

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 26 मार्च, 2018

विषय-वित्तीय वर्ष 2017-18 में उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड के लिये पुनर्विनियोग के माध्यम से वेतन/गैर वेतन के मद में धनराशि की स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-861/निदे0म0क0/लेखा-बजट/2017-18, दिनांक 06-03-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड के कार्मिकों के लिये वेतन/गैर वेतन के मद में स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को सहायता हेतु प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग के माध्यम से रु0-49,21,000.00 (रुपये उन्चास लाख इक्कीस हजार मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का बीजक निदेशक, महिला कल्याण द्वारा प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त कोषागार से आहरित कर अवमुक्त की जायेगी।

(2) आय-व्ययक द्वारा प्राधिकृत धनराशि का व्यय केवल स्वीकृत चालू योजना पर ही किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपभोग किसी भी दशा में वर्ष 2017-18 हेतु अन्य किसी नई मदों के लिए नहीं किया जायेगा। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(3) वचनबद्ध मदों के अतिरिक्त मितव्ययिता संबंधी मदों में व्ययों की स्वीकृति धनराशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में ही आहरित कर व्यय की जायेगी तथा व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी।

(6) उक्त अनुदान वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड-5 भाग-5 के अध्याय 16क में उल्लिखित उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

3. इस निमित्त होने वाले व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-107-स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-05-स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" में उपलब्ध बचतों से संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से अनुदान संख्या-49 के लेखा शीर्षक-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

"2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-06-अनाथालय एवं अन्य पूर्व आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 लागू करने के निमित्त नियंत्रण बोर्ड उ0प्र0 को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य-(गैर वेतन) एवं 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-762/दस-2018, दिनांक 23 मार्च, 2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-503 (1)/60-3-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. सदस्य सचिव, उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।